



भारतीय हिमालयी क्षेत्र की भंगुरता

प्रलमिस के लयि:

[भारतीय हिमालयी क्षेत्र \(IHR\)](#), [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम \(UNEP\)](#), [तीसता नदी, पर्यावरण मंजूरी \(EC\)](#), [EIA 2006 अधसिचना](#), [ड्राफ्ट EIA 2020 अधसिचना](#)

मेन्स के लयि:

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) का कुपरबंधन भारत के पर्यावरण और पारसिथतिकी के लयि खतरा उत्पन्न करता है

[स्रोत: द हट्टि](#)


चर्चा में क्यों?

हाल ही में सकिक्मि में [तीसता](#) बाँध के टूटने से हिमाचल प्रदेश में [बाढ़](#) और [भूसखलन](#) की घटना देखी गई ।

- यह इस बात पर स्पष्ट प्रकाश डालता है कि हमारा विकास मॉडल पर्यावरण और पारसिथतिकी, विशेषकर पर्वतीय [भारतीय हिमालयी क्षेत्रों](#) को किस प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावति कर रहा है ।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR):

- यह भारत में उस पर्वतीय क्षेत्र को संदर्भति करता है जो देश के भीतर संपूरण हिमालय शृंखला को शामिल करता है । यह भारत के [उत्तर-पश्चिमी](#) भाग जम्मू और कश्मीर से लेकर [भूटान](#), [नेपाल](#) तथा [तिबत \(चीन\)](#) जैसे देशों की सीमा के साथ पूर्वोत्तर राज्यों तक वसित है ।
- इसमें [11 राज्य](#) (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सकिक्मि, सभी पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिमी बंगाल) तथा [2 केंद्रशासति प्रदेश](#) (जम्मू-कश्मीर व लद्दाख) शामिल हैं ।



भारतीय हिमालयी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे:

- **श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण में खामियाँ:**
 - भारतीय नियामक प्रणाली के श्रेणीबद्ध/ग्रेडेड दृष्टिकोण में नरिदष्टि खामियाँ, जैसे कि मंत्रालय और विभाग इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पारस्थितिक महत्त्व के बावजूद IHR पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
 - हिमालय मौसम की चरम स्थिति, भूकंपीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से ग्रस्त है, फरि भी इस क्षेत्र में परियोजनाओं के लिये कोई अलग पर्यावरणीय मानक नहीं हैं।
- **वभिन्न EIA चरणों के कार्यान्वयन से संबद्ध मुद्दे:**
 - **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)** प्रक्रिया के सभी चरणों में **स्क्रीनिंग से लेकर मूल्यांकन तक**, परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं को क्षेत्र की पारस्थितिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करके IHR की आवश्यकताओं को संबोधित करने की प्रक्रिया में भारी कमी है।
 - **पर्वतीय क्षेत्रों में परियोजनाओं की विशिष्ट विशेषताओं** को ध्यान में रखते हुए इनसे संबंधित **उत्तरदायित्वों में वृद्धि हेतु EIA अधिसूचना** में विशिष्ट खंडों के समावेश का भी अभाव है।
- **राष्ट्रीय स्तर के नियामक का अभाव:**
 - EIA प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय स्तर के नियामक की अनुपस्थिति है, जिसका सुझाव सर्वोच्च न्यायालय **नवंबर 2011 में लाफार्ज उमयिम माइनिंग (पी) लिमिटेड और टी.एन. गोदावरमन थरिमुलपाद बनाम भारत संघ, 1995** मामले में दिया था।
 - वर्तमान में, EIA प्रक्रियाएँ परियोजना समर्थकों के पक्ष में हैं जिनमें संचयी प्रभावों पर व्यापक विचार की कमी है, विशेष रूप से IHR जैसे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में।
- **EIA 2006 अधिसूचना में एकरूपता का मुद्दा:**
 - EIA 2006 अधिसूचना **खनन, वदियुत उत्पादन और बुनयािदी ढाँचे जैसे क्षेत्रों के आधार पर परियोजनाओं को वर्गीकृत** करती है, लेकिन EIA प्राप्त की आवश्यकता संबंधी सीमा पूरे देश में देश के लिये समान है।
 - यह समान दृष्टिकोण अपने पारस्थितिक महत्त्व और नाजुकता के बावजूद भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) की **आद्वितीय आवश्यकताओं**

एवं सुभेद्यताओं पर वचिार करने में वफिल रहता है ।

■ **ड्राफ्ट EIA 2020 अधिसूचना में मुद्दे:**

- EIA प्रक्रिया पछिले कुछ वर्षों में कई संशोधनों के साथ वकिसति हुई है, **EIA 2020 के मसौदे** को उद्योग समर्थक माना जा रहा है तथा इसमें पारसिथतिक वचिराओं की उपेक्षा को लेकर चतिाएँ वयक्त की गई हैं । EIA का उचित उपयोग पर्यावरण प्रशासन और सतत् वकिस के लयि एक शक्तशाली उपकरण हो सकता है ।

IHR की पारसिथतिक भंगुरता की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम:

■ **वभिदति पर्यावरण मानक:**

- कषेत्र की भंगुरता और असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वभिदति पर्यावरण मानक स्थापति कयि जाने चाहयि ।
 - इन मानकों को पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया में शामिल कयि जाना चाहयि, यह सुनिश्चति करते हुए कि IHR में परयोजनाएँ अधिक कड़े नियमों और जाँच के अधीन हैं ।

■ **सामरिक पर्यावरण आकलन (SEA):**

- नीति निर्माताओं को SEA को लागू करने पर वचिरा करना चाहयि, जो कसी कषेत्र में वकिस के संघयी प्रभाव का आकलन करता है ।
- SEA को नकिसी प्रक्रिया में एकीकृत करने से वकिस गतविधियों के संभावति परिणामों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कयि जा सकता है ।

■ **स्थानीय समुदाय की भागीदारी:**

- इन समुदायों को अकसर कषेत्र की पारसिथतिकी की गहरी समझ होती है और वे वकिस के संभावति प्रभावों के वषिय में बहुमूल्य सूचना प्रदान कर सकते हैं ।
- उनकी भागीदारी सुनिश्चति करने से पारसिथतिक रूप से अधिक सुदृढ़ और सामाजिक रूप से ज़मिेदार परयोजनाएँ शुरु हो सकती हैं ।

■ **पारसिथतिकी तंत्र-आधारति दृष्टिकोण:**

- वकिस के लयि पारसिथतिकी तंत्र-आधारति दृष्टिकोण लागू करना । यह पहचान करना कि IHR न केवल संसाधनों का एक स्रोत है बल्कि कषेत्रीय और राष्ट्रीय पारसिथतिकी संतुलन बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

नीतियों को वनों, नदियों और जैववविधिता सहति पारसिथतिकी तंत्र की सुरक्षा तथा बहाली को प्राथमकिता देनी चाहयि ।

■ **बुनयिादी ढाँचे के वकिस पर पुनर्वचिरा:**

- IHR में बुनयिादी ढाँचा परयोजनाओं की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जानी चाहयि । बाँधों, सड़कों और जलवदियुत संयंत्रों जैसी परयोजनाओं को पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लयि कठोर मूलयांकन से गुज़रना चाहयि ।
- वैकल्पिक प्रौद्योगकियों और मार्गों पर वचिरा करना जो कम वधितकारी हों ।

■ **सीमा पार सहयोग:**

- हिमालय कषेत्र कई देशों तक फैला हुआ है और पारसिथतिकी चुनौतियों राजनीतिकी सीमाओं तक सीमति नहीं हैं । भारत को साझा पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लयि कषेत्रीय सहयोग में शामिल होना चाहयि ।
- सहयोगात्मक प्रयास वायु और जल प्रदूषण जैसी सीमा पार चुनौतियों को कम करने में सहायता कर सकते हैं ।

■ **जन जागरूकता एवं शकिषा:**

- IHR के पारसिथतिकी महत्त्व के बारे में सार्वजनिकी जागरूकता बढ़ाना ।
- शकिषा और सहयोग लोगों, व्यवसायों तथा नीति निर्माताओं को अधिक ज़मिेदार नरिणय व व्यवहार अपनाने के लयि प्रभावति कर सकती है ।

■ **प्रकृत आधारति पर्यटन:**

- संधारणीय एवं ज़मिेदारीपूर्ण पर्यटन प्रथाओं का समर्थन करना चाहयि जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए स्थानीय समुदायों के लयि आय उत्पन्न करने में सहायता मलिगी ।
- इसमें इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देना, वहन क्षमता सीमा लागू करना और पर्यटकों के बीच जागरूकता बढ़ाना शामिल हो सकता है ।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA), 2020

■ **परचिय:**

- **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA), 2020**, जब पहली बार प्रस्तुत की गई थी, तो इसका उद्देश्य वर्ष 2006 की वगित EIA अधिसूचना को प्रतसिथापति करना था ।

■ **कार्येत्तर मंजूरी:**

- **कार्येत्तर मंजूरी का वचिरा** मसौदा अधिसूचना में प्रस्तुत कयि गया था, जो कुछ परयोजनाओं को मंजूरी के बिना परिचालन शुरु करने के बाद भी पर्यावरणीय मंजूरी लेने की अनुमति देगी ।

■ **सार्वजनिकी भागीदारी में कमी:**

- आलोचकों ने तर्क दयिा कि मसौदा अधिसूचना ने **सार्वजनिकी परामर्श प्रक्रिया को कमज़ोर कर दयिा** है, जिससे संबंधति नागरकियों एवं समुदायों के लयि प्रस्तावति परयोजनाओं के संबंध में अपना मत तथा समस्याएँ वयक्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है ।

■ **कुछ परयोजनाओं के लयि छूट:**

- मसौदा अधिसूचना में **कुछ श्रेणियों की परयोजनाओं के लयि छूट का प्रस्ताव दयिा गया है**, जिससे उन्हें EIA प्रक्रिया को बायपास करने का वकिल्प मलिगा ।

■ **परयोजना की वैधता का वसितार:**

- इसने वभिन्न परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया , जिससे पर्यावरणीय प्रभावों के बार-बार पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता कम हो जाएगी ।
- अनुपालन रिपोर्ट का कमज़ोर होना:
 - अनुपालन रिपोर्टों को कमज़ोर करने के बारे में चर्चा देखी गई, जो यह सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्थितियों और मानकों का पालन करना आवश्यक है ।
 - संबंधित लोगों, विशेषज्ञों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं सभी ने मसौदा अधिसूचना पर आपत्तजिताई एवं इसके मानकों पर संदेह जताया ।

भारत में EIA:

- परचिय:
 - **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** का उपयोग भारत में 20 साल से भी पहले किया गया था । इसकी शुरुआत 1976-77 में हुई जब योजना आयोग ने वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से नदी-घाटी परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखने का अनुरोध किया था ।
- EIA 1994 अधिसूचना:
 - वर्ष 1994 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किसी भी गतिविधि के वसितार या आधुनिकीकरण या **अनुसूची 1** में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यावरणीय मंजूरी (EC) को अनिवार्य बनाते हुए एक EIA अधिसूचना जारी की ।
- EIA 2006 अधिसूचना:
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सितंबर 2006 में नए EIA कानून को अधिसूचित किया ।
 - यह अधिसूचना वभिन्न परियोजनाओं जैसे- खनन, थर्मल पावर प्लांट, नदी घाटी, बुनियादी ढांचे (सड़क, राजमार्ग, पत्तन, बंदरगाह और हवाई अड्डे) और बहुत छोटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फाउंड्री इकाइयों सहित उद्योगों के लिये पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है ।
 - हालाँकि वर्ष 1994 की EIA अधिसूचना के विपरीत नए कानून ने परियोजना के आकार/क्षमता के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी देने का दायित्व राज्य सरकार पर डाल दिया है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे, तो आप नमिनलखिति को देखेंगे: (2012)

- गहरे खड्ड
- U घुमाव वाले नदी मार्ग
- समानांतर पर्वत श्रेणियाँ
- भूस्खलन के लिये उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता

उपर्युक्त में से कसिे हिमालय के युवा वलति पर्वत होने का प्रमाण कहा जा सकता है?

- केवल 1 और 2
- केवल 1, 2 और 4
- केवल 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय: होते रहने के कारण बताइये । (2013)

प्रश्न. भू-स्खलन के वभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिये । राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखमि प्रबंधन रणनीतिके महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिये । (2021)

